न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 620 / 2020

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन बास नाथोवाला तहसील नोहर।
2. मन्जूदेवी पत्नी विजयसिंह जाति जाट साकिन बास नाथोवाल तहसील नोहर।
3. मोनिका पुत्री विजयसिंह नाबालिग जरिये माता मन्जुदेवी पत्नी विजयसिंह जाति जाट साकिन बास नाथोवाला तहसील नोहर।
4. साहिल पुत्र विजयसिंह नाबालिग जरिये बली माता मन्जूदेवी पत्नी विजयसिंह जाति जाट साकिन बास नाथोवाला तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. बिरजीदेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन बास नाथोवाला तहसील नोहर।
2. बिमला पुत्री भादरराम जाति जाट साकिन बास नाथोवाला तहसील नोहर।
3. इमरती पुत्री भादरराम जाति जाट साकिन बास नाथोवाला तहसील नोहर।
4. सावित्री पुत्री भादरराम जाति जाट साकिन बास नाथोवाला तहसील नोहर।
5. चावली पुत्री भादरराम जाति जाट साकिन बास नाथोवाला तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 25/0/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता स0 154 / 145 के ख0न0 537 की 2.8330 हैक्ट, 710 की 6.6520 हैक्ट, 724 की 4.6160 हैक्ट कुल 14.1010 हैक्ट भूमि व रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 81 / 71 के ख0न0 197 की 4.6460 हैक्ट, 51 की 2.4410 हैक्ट, 92 की 4.3120 हैक्ट कुल 11. 3690 हैक्ट भूमि भादर पुत्र रामसुख के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भादर पुत्र रामसुख के नाम दर्ज है जो की वादीगण व प्रतिवादीगण का दादा है। भादर पुत्र रामसुख का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण है। भादर पुत्र रामसुख का एक पुत्र मांगीलाल जो की सन 1990 से लापता है जिसे लापता हुए 7 साल ये अधिक का समय हो चुका है इसलिए मांगीलाल की सिविल मृत्यु हो चुकी है क्योंकि उसे लापता हुए 7 साल से अधिक का समय हो चुका है।

भादरराम पुत्र रामसुख द्वारा दि[illegible]03.1993 को उक्त वाद भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि मेरे पौत्रों विजयसिं[illegible] के पक्ष में बहिब व शेष 1 / 2 हिस्सा भूमि अपने पुत्र मांगीलाल के पक्ष में वसीयत तस्दीक करवाई थी। मेरे [illegible] मांगीलाल का कोई पता नही है अगर मांगीलाल नही मिलता है तो उसकी 1 / 2 भूमि भी मेरे पोत्रों विजयसिंह व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.07 10:36:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

धर्मपाल के नाम के दर्ज की जावे। मांगीलाल जो की सन 1990 से लापता है जिसे लापता हुए 7 साल ये अधिक का समय हो चुका है इसलिए मांगीलाल की सिविल मृत्यु हो चुकी है क्योंकि उसे लापता हुए 7 साल से अधिक का समय हो चुका है। समस्त भूमि पर धर्मपाल व विजयसिंह के वारिस काबिज है यानि की वादीगण काबिज है। इसलिए मुताबिक वसीयत वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर करवाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि मुताबिक वसीयत वाद भूमि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 व 5 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 5 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा भगवानसर सम्वत 2072–75 खाता स0 154/154 ईएक्स पी–1, जमाबंदी रोही मौजा बास नाथोवाल सम्वत 2076–79 खाता स0 81/71 ईएक्सपी–2 चित्रप्रति वसीयतनामा ईएक्सपी–3ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र भादरराम, मृत्यु प्रमाण पत्र निकुराम उर्फ ओमप्रकाश, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र विजयसिंह पुत्र ओमप्रकाश पेश किये। वसीयत के गवाहन श्री कमल कुमार पुत्र महावीरप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी नोहर व सहीराम पुत्र भगवानाराम जाति कुम्हार निवासी नोहर ने शपथ पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकायान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भादरराम पुत्र रामसुख के नाम दर्ज है। भादरराम पुत्र रामसुख द्वारा दिनांक 23.03.1993 को उक्त भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि मेरे पौत्रों विजयसिंह व धर्मपाल पि0 ओमप्रकाश के पक्ष में बहिब व शेष 1/2 हिस्सा भूमि अपने पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.07 10:36:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मांगीलाल के पक्ष में वसीयत तस्दीक करवाई थी। मेरे पुत्र मांगीलाल का कोई पता नही है अगर मांगीलाल नही मिलता है तो उसकी 1/2 भूमि भी मेरे पोत्रों विजयसिंह व धर्मपाल के नाम के दर्ज की जावे। मांगीलाल जो की सन 1990 से लापता है जिसे लापता हुए 7 साल ये अधिक का समय हो चुका है इसलिए मांगीलाल की सिविल मृत्यु हो चुकी है क्योंकि उसे लापता हुए 7 साल से अधिक का समय हो चुका है। समस्त भूमि पर धर्मपाल व विजयसिंह के वारिस काबिज है यानि की वादीगण काबिज है। इसलिए मुताबिक वसीयत वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर करवाने का अधिकारी है अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता स0 154/145 के ख0न0 537 की 2.8330 हैक्ट, 710 की 6.6520 हैक्ट, 724 की 4.6160 हैक्ट कुल 14.1010 हैक्ट भूमि व रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 81/71 के ख0न0 197 की 4.6460 हैक्ट, 51 की 2.4410 हैक्ट, 92 की 4.3120 हैक्ट कुल 11.3690 हैक्ट भूमि भादर पुत्र रामसुख के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुताबिक वसीयत भादरराम द्वारा दिनांक 23.03.1993 को रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के ख0न0 537 की 2.8330 हैक्ट, 710 की 6.6520 हैक्ट, 724 की 4.6160 हैक्ट व रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के ख0न0 197 की 4.6460 हैक्ट, 51 की 2.4410 हैक्ट, 92 की 4.3120 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि मेरे पौत्रों विजयसिंह व धर्मपाल पि0 ओमप्रकाश के पक्ष में बहिब व शेष 1/2 हिस्सा भूमि अपने पुत्र मांगीलाल के पक्ष में वसीयत तस्दीक करवाई गई है और वसीयत में यह भी अंकित किया है कि मेरे पुत्र मांगीलाल का कोई पता नही है अगर मांगीलाल नही मिलता है तो उसकी 1/2 भूमि भी मेरे पोत्रों विजयसिंह व धर्मपाल के हिस्से में रहेगी। वसीयत के गवाहान कमल कुमार पुत्र महावीरप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी नोहर व सहीराम पुत्र भगवानाराम जाति कुम्हार निवासी नोहर ने शपथ पत्र पेश किये की उक्त वसीयत सही है जिस पर वसीयतकर्ता ने हमारे समक्ष हस्ताक्षर किये है। वसीयतकर्ता का देहांत हो चुका है एवं उक्त वाद भूमि बाबत कोई विवाद नही है तथा वसीयतकर्ता के देहांत के बाद वाद भूमि पर वसीयतग्रहिता/वसीयतग्रहीता के वारिसान काबिज है। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 व 5 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 5 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण के इकबाल के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.07 10:36:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता स0 154/145 के ख0न0 537 की 2.8330 हैक्ट, 710 की 6.6520 हैक्ट, 724 की 4.6160 हैक्ट कुल 14.1010 हैक्ट भूमि व रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 81/71 के ख0न0 197 की 4.6160 हैक्ट, 51 की 2.4410 हैक्ट, 92 की 4.3120 हैक्ट कुल 11.3690 हैक्ट भूमि भादर पुत्र रामसुख के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में भादर पुत्र रामसुख का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का वादी स0 1 को एवं 1/2 हिस्सा भूमि का वादी स0 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.07 10:36:13 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 620 / 2020

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन बास नाथोवाला तहसील नोहर।
2. मन्जूदेवी पत्नी विजयसिंह जाति जाट साकिन बास नाथोवाल तहसील नोहर।
3. मोनिका पुत्री विजयसिंह नाबालिग जरिये माता मन्जुदेवी पत्नी विजयसिंह जाति जाट साकिन बास नाथोवाला तहसील नोहर।
4. साहिल पुत्र विजयसिंह नाबालिग जरिये बली माता मन्जूदेवी पत्नी विजयसिंह जाति जाट साकिन बास नाथोवाला तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. बिरजीदेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन बास नाथोवाला तहसील नोहर।
2. बिमला पुत्री भादरराम जाति जाट साकिन बास नाथोवाला तहसील नोहर।
3. इमरती पुत्री भादरराम जाति जाट साकिन बास नाथोवाला तहसील नोहर।
4. सावित्री पुत्री भादरराम जाति जाट साकिन बास नाथोवाला तहसील नोहर।
5. चावली पुत्री भादरराम जाति जाट साकिन बास नाथोवाला तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 620 सन 2020 निर्णय दिनांक 25/03/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री हवासिंह पूनिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता स0 154 / 145 के ख0न0 537 की 2.8330 हैक्ट, 710 की 6.6520 हैक्ट, 724 की 4.6160 हैक्ट कुल 14.1010 हैक्ट भूमि व रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 81 / 71 के ख0न0 197 की 4.6160 हैक्ट, 51 की 2.4410 हैक्ट, 92 की 4.3120 हैक्ट कुल 11.3690 हैक्ट भूमि भादर पुत्र रामसुख के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में भादर पुत्र रामसुख का नाम कलमजन किया जाकर 1 / 2 हिस्सा भूमि का वादी स0 1 को एवं 1 / 2 हिस्सा भूमि का वादी स0 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/03/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.07 10:36:13 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर